राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ.7(38)(64)परि/रूल्स/एचएसआरपी/2009/136491 जयपुर, दिनांकः 30.06.2009

कार्यालय आदेश संख्या .....16.../2009

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 2463/2009 मनिन्दरजीत सिंह बिट्टा बनाम केन्द्रीय सरकार एवं अन्य में दिनांक 29.05.2009 को आदेश पारित कर निर्देशित किया है कि राज्य में कृत्रिम/जाली हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के निर्माण, विक्रय एवं वितरण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जावे एवं ऐसे व्यक्ति जो राज्य में इन जाली/कृत्रिम हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के निर्माण, विक्रय एवं वितरण के कार्य में संलिप्त है के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार है:–

"The State Government is further directed to ban manufacturing, sale and distribution of counterfeit plates in the State forthwith and action also be taken against the persons dealing in it, in accordance with law."

2. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के संबंध में प्रावधान केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50 में किया गया है जो निम्नानुसार है:--

"मोटर वाहन पर पंजीकरण के चिन्ह को प्रदर्शित करने का प्रारुप और तरीका –

(1) इस नियम के प्रारंभ पर या उसके पश्चात विनिर्मित यानों पर, धारा 41 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण चिहन, निम्नलिखित विनिर्देशों वाली सुरक्षा अनुज्ञप्ति प्लेट के आकार में, सभी मोटर यानों के सामने और पीछे के भाग पर स्पष्ट रुप से और सुपाठ्य रुप में उपदर्शित किए जाएंगे, अर्थात्:–

(i) प्लेट, डी आई एन 1745/डी आई एन 1783 या आई एस ओ 7591 की अनुपालना में 1.0 मि.मि. एल्यूमीनियम की ठोस इकाई होगी। लगभग 10 मि.मी. तक की क्षति से बचने के लिए प्लेट के किनारों और कोरों को गोल किया जाएगा और प्लेट का किनारा समुद्र भृत (embossed border) होगा। प्लेट हॉट स्टाम्पिंग के लिए समुचित होगी और परावर्ती शीट को अविनश्वर प्रकृति (imperishable nature) की कम से कम 5 वर्ष के लिए प्रत्याभूति (guaranteed) होगी। लीजेंड और किनारों की फास्ट कलरिंग, हॉट स्टाम्पिंग द्वारा की जाएंगी:

(ii) प्लेट के सबसे बाएं केन्द्र पर नीले रंग में "आई एन डी" अक्षर होने चाहिए। अक्षरों का आकार नियम 51 में वर्णित अक्षरों के आकार का 1/4 होना चाहिए और ये पर्णिका में गड़ें (buried into the foil) होने चाहिए या इन्हें हॉट स्टाम्पिंग द्वारा लगाया जाना चाहिए और ये प्लेट का अभिन्न भाग होंगे;

(iii) प्रत्येक प्लेट की, उस पर यथा अनुमोदित हॉट स्टाम्पिंग द्वारा क्रोमियम आधारित होलोग्राम लगाकार कूटकरण (counterfeiting) से सुरक्षा की जाएगी। इस पर स्टीकर और चिपकाने वाले लेबल लगाना अनुज्ञात नहीं है। प्लेट पर न्यूनतम 7 अंकों का स्थायी क्रमवर्ती संख्यांक होगा, जिसे परावर्ती शीटिंग (reflective sheeting) में लेजर से छापा जाएगा और हॉट स्टाम्पिंग फिल्म पर सत्यापन उत्कीर्ण (verification inscription) लेख होगा।

(iv) सामने और पीछे के भाग पर रजिस्ट्रीकरण चिन्हों के अलावा यान की विंडशील्ड के ऊपरी बाएं कोने पर स्वःविनाशक प्रकार (self-destructive type) के क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टीकर के रूप में तीसरा रजिस्ट्रीकरण चिन्ह चिपकाया जाएगा। स्टीकर पर, रजिस्ट्रीकरण ब्यौरे जैसे रजिस्ट्रीकरण सांव्यक्तिक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी आदि मुद्रित होंगे। तीसरा रजिस्ट्रीकरण चिन्ह, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी/अनुज्ञप्त प्लेट विनिर्माता के अनुमोदित डीलर द्वारा नियमित रजिस्ट्रीकरण चिन्हों के साथ जारी किए जाएंगे और इसके पश्चात् यदि ऐसा स्टीकर नष्ट हो जाता है तो यह अनुज्ञप्त प्लेट के विनिर्माता द्वारा जारी किया जाएगा।

(v) प्लेट को, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के परिसर में यान के पिछली तरफ हटाए न जा सकने वाली/पुनः उपयोग में न लाए जा सकने वाली स्नेप लाक फिटिंग प्रणाली के साथ किया जाएगा।

उपर्युक्त विनिर्देशों और यान के लिए विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण के साथ नम्बर प्लेटें, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या अनुज्ञप्त प्लेट के विनिर्माता के अनुमोदित डीलरों द्वारा जारी की जाएंगी। उपर्युक्त विनिर्देशों की रजिस्ट्रीकरण प्लेटों के आपूर्तिकर्ताओं को केन्द्रीय सरकार अनुमोदित करेगी।

3. केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50 की पालना के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा नई अतिसुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेटो के विनिर्माण या प्रदाय के लिए किसी विनिर्माता या विक्रेता द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में समय–समय पर यथा संशोधित मोटरयान (अतिसुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) आदेश, 2001 में विर्निष्टि कर निर्देश जारी किये गये हैं जो निम्नानुसार है:–

(i) विनिर्माता या प्रदायकर्ता, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली से या केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 126 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी परीक्षण अभिकरण से एक प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा;

(ii) रजिस्ट्रीकरण प्लेट केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 50 में उपवर्णित विनिर्देशों के अनुरुप होगी और वह समय–समय पर यथासंशोधित डीआईएन 74069–1975 और आईएसओ 7591–1982 के भी अनुरुप तब तक होगी जब तक तत्संबंधी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते। रजिस्ट्रीकरण प्लेट की कम से कम न्यूनतम पांच वर्ष के लिए अविनश्वर प्रकृति के लिए प्रत्याभूति दी जानी है।

(iiक) यानों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए रजिस्ट्रीकरण प्लेट का आकार केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 50 के उपनियम (1) के खंड (vi) के अनुसार होगा। तथापि, मोटर साइकिलों के मामले में प्लेट का आकार 285X45 मि.मी. हो सकेगा।

(iii) अतिसुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेटों में अक्षरों की पृष्ठभूमि का रंग वही होगा जो भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 221(अ) तारीख 28–3–2001 में विहित रंग स्कीम के अनुसार हो अर्थात् परिवहन यानों की दशा में पीली पृष्ठ भूमि पर काला रंग और अन्य मामलों में सफेद पृष्ठभूमि पर काला रंग/ रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के अक्षर अंग्रेजी में होंगे और अंक अरबी संख्याकों में होंगे, और अक्षर तथा अंक उत्कीर्णित होंगे, ताप स्टांपित नहीं।

(iv) कूट रचना से संरक्षण के लिए 20 मि.मी. X 20 मि.मी. आकार का एक क्रोमियम आधारित होलोग्राम प्लेट के शीर्ष पर बाईं ओर के कोने पर सामने और पीछे दोनों प्लेटों पर ताप स्टाम्पन द्वारा लगाया जाना है। होलोग्राम में, जैसा इस आदेश से संलग्न उपबंध में दिया गया है, वैसा नीले रंग में चक्र होगा।

(v) कम से कम 5 अंकों की स्थायी पहचान संख्या, रजिस्ट्रीकरण प्लेट के तल के बाईं ओर परावर्ती शीट में लेजर ब्रेंड की जानी है जिसमें अंक का आकार 2.5 मिलीमीटर का होगा। परन्तु अरबी संख्यांकों में स्थायी क्रमवर्ती पहचान संख्यांक के पूर्व, यथास्थिति, विक्रेता या विनिर्माता या उस प्रदायकर्ता के, जिसके लिए परीक्षण अभिकरणों द्वारा टाइप अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, नाम के निदर्शक दो वर्ण होंगे :

परन्तु यह और कि नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट परीक्षण अभिकरण निम्नलिखित रुप में उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णों का प्रयोग करेंगे:'

सारणी

क्र. सं.	परीक्षण अभिकरण का नाम	वर्ष
(1)	(2)	(3)
1.	आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे	ए से एच
2.	केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	आई से पी
3.	यान अनुसंधान विकास स्थापन, अहमदनगर	क्यू से एस

परन्तु यह भी कि अंकों की ऊंचाई सामने और पीछे की रजिस्ट्रीकरण प्लेटों के लिए 5 मि.मी. होगी और तीसरी रजिस्ट्रीकरण प्लेट जो स्टिकर के रुप में होगी, के लिए 2.5 मि.मी. होगी ।;

(vi) विज्ञप्ति संख्या के अक्षरों/अंकों पर लगाई जाने वाली ताप स्टापन फिल्म में "इंडिया" उत्कीर्षित होगा। "INDIA" अक्षरों का रंग नीला होगा, जो टाइप एरियल बोल्ड लिपि में 45 डिग्री के कोण पर 10 (दस) फोन्ट आकार में आनुक्रमिक पंक्तियों में होंगे और प्रत्येक पंक्ति एक दूसरे का दर्पण जैसा प्रतिबिंब होगी;

(vii) स्व–विध्वंसकारी के प्रकार के क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टिकर के रुप में तीसरी रजिस्ट्रीकरण प्लेट 100 एमएम x 60 एम एम के आकार की होगी, जिसे यान के विण्डशील्ड के बायीं ओर के भीतरी भाग पर लगाई जानी है। स्टिकर पर (i) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का नाम (ii) यान का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (iii) लेजर ब्रांड किया गया स्थायी पहचान संख्यांक (iv) इंजन संख्यांक और (v) यान का चेसिस संख्यांक के ब्यौरे होंगे। स्टिकर के दाएं कोनों के तल पर, क्रोमियम आधारित होलोग्राम लगाया जाएगा किन्तु यह 10 मि.मी. x 10 एम एम के लधु आकर का होगा उक्त स्टिकर में यान का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक केन्द्र में होगा और अक्षरों की ऊंचाई 10 मि.मी. होगी। रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का नाम 5 मि.मी. के आकर के अक्षरों में शीर्ष भाग पर होगा। जबकि लेजर ब्रांड वाला स्थायी पहचान संख्यांक, इंजन सं. और चेसिस संख्यांक स्टिकर के तल में बाईं ओर आएंगे। प्रत्येक मामले में अंकों का आकार 2.5 मिलीमीटर का होगा। स्टिकर की फिल्म अनिवार्यतः उच्च परावर्ती अभिसूचक सहित डिफ्रेक्शन फॉयल की होनी चाहिए और उसमें क्रोमियम आधारित होलोग्राम जुड़ा हुआ होगा;

(viii) यान के पीछे फिट की गई रजिस्ट्रीकरण प्लेट न हटाये जाने योग्य पुनः प्रयोग न किए जाने योग्य स्नैप लाक सिस्टम से जोड़ी जाएगी। बेहतर सुरक्षा के लिए कम से कम दो ऐसे स्नैप लॉक फिट किए जाएंगे।

(ix) कोई भी अतिसुरक्षा प्लेट रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के परिसर से बाहर नहीं चिपकाई जाएगी।

(x) राज्य परिवहन विभाग द्वारा ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्लेटों के प्रदाय के लिए चयन किया गया विनिर्माता या विक्रेता संपूर्ण राज्य के लिए या राज्य के किसी प्रदेश के लिए हो सकेगा।

(xi) मोटरयान स्वामियों को रजिस्ट्रीकरण प्लेट का प्रदाय विक्रेता द्वारा सड़क परिवहन अधिकारी या राज्य परिवहन विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए अभिहित किसी अधिकारी के प्राधिकार पर किया जाएगा।

(xii) किसी विद्यमान रजिस्ट्रीकरण प्लेट के लिए प्रतिभूति संबद्व परिवहन प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने के पश्चात् ही की जा सकेगी कि पुरानी प्लेट अभ्यार्थित और नष्ट कर दी गई है।

(xiii) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत विनिर्माता या विक्रेता द्वारा जारी की गई रजिस्ट्रीकरण प्लेटों का समुचित अभिलेख दैनिक आधार पर रखा जाना चाहिए और उसका आवधिक रुप से परिवहन कार्यालय के अभिलेखों के साथ मिलान करवाना चाहिए :

(xiv) अतिसुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करनें के लिए आवधिक लेखा परीक्षा संबंधित परीक्षण अभिकरण द्वारा की जाएगी।

उपरोक्त आदेश के प्रावधानो से यह स्पष्ट है कि संबंधित राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य के लिए या राज्य के किसी प्रदेश के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्लेटों के प्रदाय (supply) के लिए चयन कर सकेगी तथा यह सभी प्लेटें राज्य सरकार द्वारा अधिकृत विनिर्माता या विक्रेता द्वारा मोटर यान पंजीयन अधिकारी के पारेसर में ही लगाई जायेगी अर्थात यह स्पष्ट है कि उक्त प्लेट की आपूर्ति केन्द्रीय सरकार से अनुमोदित प्लेट निर्माता द्वारा संबंधित राज्य सरकार से अधिकृत होने पर ही वाहनों पर प्रदर्शित करने हेतु विक्रय एवं वितरण की जा सकती है।

4. वर्तमान में राज्य में अतिसुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट के निर्माण, विक्रय अथवा प्रदाय हेतु कोई भी निर्माता अथवा विक्रेता अधिकृत नही है। परन्तु यह आशंका व्यक्त की गई है की कुछ कम्पनियों/व्यक्तियों के स्वयं अथवा अपने अधिकृत डीलरों के द्वारा राज्य में उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेट से मिलती जुलती प्लेटें अथवा उच्च सुरक्षा प्लेट के विनिर्दिष्ट कुछ मानदण्डों की पालना करती हुई प्लेटें उच्च सुरक्षा प्लेट के नाम से केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50 एवं मोटर यान (अतिसुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) आदेश, 2001 का उल्लंघन करते हुए विक्रय की जा रही हैं।

अतः राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों तथा प्रादेशिक एवं जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्राधिकार के अधीन कार्यरत उन कम्पनियों/व्यक्तियों के विरुद्ध, जो मोटर वाहन अधिनियम, 1938 एवं केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियमों की अवहेलना कर अवैद्य रुप से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के निर्माण, विक्रय एवं वितरण के कार्य में संलिप्त हैं, नियमानुसार भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं के तहत प्रथम सूचना दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करें ताकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पालना सुनिश्चित की जा सके! की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी नियमित रुप से सूचित करने का श्रम करें।

परिवहन आयुक्त एवं
पदेन शासन सचिव
जयपुर, दिनांक: 3.6.06.2009

क्रमांक: एफ.7(38)(64)परि/रूल्स/एचएसआरपी/2009/136492

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (1) मुख्यमंत्रीजी
2. निजी सचिव, माननीय परिवहन मंत्रीजी
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन
4. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त
5. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक (यातायात)
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त .....
7. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस रेंज .....
8. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी .....
9. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण .....

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)

C:\Hans Sir\HSRP\HSRP.doc